



पंजीकृत पावती, उल्लंघन पत्र
भारत सरकार
Government of India
खान मंत्रालय
Ministry of Mines
भारतीय खान ब्यूरो
Indian Bureau of Mines

माखुपूरा औद्योगिक क्षेत्र,
Makhupura, Industrial Area
अजमेर-305 002 (राजस्थान)
Ajmer- 305 002 (Rajastha)

खान कोड संख्या : 97RAJ04007

Date-

No RAJ/Brm- 29/SE-14

प्रेषित The Agent,
Bariyara (4/10) Siliceous Earth Mine,
M/S Jaipur Magmatics Pvt. Ltd.,
Ground Floor, Nandanam-II,
A-2, Tilak Marg, C- Scheme, Jaipur- 302005 Rajasthan
विषय: राजस्थान राज्य के Barmer जिले में स्थित आपकी Bariyara (4/10) Siliceous Earth Mine
खान मे खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 29/6/2021 को उपरोक्त खान के निरीक्षण में पाया गया है कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन किया है।
नियम उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्योरा

- 26 (2) The annual report of work carried out for reclamation to be submitted before 1 July each year has not been submitted for the year 2020-21.
- 45(7) On examination of the annual return following discrepancies were observed
1. In Part- I, no information has been furnished about land use.
 2. In Part II A , the value of fixed assets had been stated as Zero, which appears to be incorrect.
 3. In Part III, both figures of Royalty & dead Rent had been furnished, either one is applicable in this case.
 4. Part VII (cost of production): A direct cost of Rs. 370.38 has been furnished, whereas the direct cost as per expenses furnished in annual return is Rs. 80.13 per tones. It shows that you have submitted incomplete or wrong or false information in annual return.
02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
- (क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
- (ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

(एच.सी.शर्मा)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर । (ई-मेल द्वारा)
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर, राजस्थान ।

3 खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, Barmer, राजस्थान सरकार,।
4 रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो